प्रेषक,

जिला आबकारी अधिकारी,
चमोली।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्याः 2064/व्यवस्थापन/2023–24/चमोली/दिनांक मार्च, 14, 2024

विषयः जनपद चमोली की विदेशी मदिरा दुकानों के नवीनीकरण के पश्चात अवशेष मदिरा दुकान कर्णप्रयाग, पोखरी, गैरसैण, नारायणबगड, माईथान व मेहलचौरी के व्यवस्थापन हेतु प्रथम चरण की लॉटरी के अन्तर्गत राजस्व चार्ट के अनुमोदन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन, उत्तराखण्ड़ शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या–148(1)/XXIII-1/2024-04(01)/2024 देहरादूनः दिनांकः 21 फरवरी 2024 एवं आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड के विज्ञप्ति संख्या 26182/सात लाई0–47/आबकारी नीति–2024/देहरादून दिनांक मार्च 11, 2024 के कम में उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली–2024–25 प्रख्यापित की गई है। उक्त नियमावली में दी गयी व्यवस्था के क्रम में जनपद की विदेशी मदिरा दुकानों के नवीनीकरण के पश्चात अवशेष मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन आबकारी नीति विषयक नियमावली के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार प्रथम चरण की लॉटरी के माध्यम से किया जाना है। जनपद के अन्तर्गत नवीनीकरण के माध्यम से अब तक व्यवस्थापित राजस्व को जनपद हेतु आवंटित राजस्व लक्ष्य में से घटाते हुए उक्त छः मदिरा दुकानों का राजस्व चार्ट निर्धारित किया गया है, जिसे जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न प्रेषित है।

अतः उत्तराखण्ड आबकारी विषयक नियमावली 2024–2025 के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार प्रथम चरण की लॉटरी के अनुसार जनपद में जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित राजस्व निर्धारण चार्ट अनुमोदनार्थ/उत्तराखण्ड आबकारी की आधिकारिक बेबसाईट पर अपलोड करवाये जाने हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

13/3/2024

(प्रमोद मैठाणी)
जिला आबकारी अधिकारी,
चमोली।

जिला आबकारी अधिकारी
चमोली

Scanned with OKEN Scanner

1/ 3573 /2024 उत्तराखण्ड शासन, आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या– 148(1)/XXIII-1/2024-04/(01)/ 2024 दिनांक 21 फरवरी, 2024 के बिन्दु संख्या 3 के क्रम में प्रथम चरण की लॉटरी हेतु अवशेष मदिरा दुकानों का जनपद को आवंटित राजस्व के सापेक्ष दुकानवार राजस्व का पुनर्निर्धारण

क्र0 सं0	दुकान का नाम	वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु दुकानवार राजस्व निर्धारण								
		दुकानवार क्षमता के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु दिनांक 01.04.2024 से दिनांक 31.03.2025 तक पुनर्निर्धारित वार्षिक राजस्व	वित्तीय वर्ष 2024–25 के अन्तर्गत दुकानवार अनुज्ञापन शुल्क (कालम संख्या 3 का 1 प्रतिशत एवं 1000 के पूर्णांक में)	वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु कुल वार्षिक अधिभार (कालम संख्या 3–कालम 4)	वित्तीय वर्ष 2024–25 के अन्तर्गत न्यूनतम मासिक प्रत्याभूत ड्यूटी की धनराशि कालम सं0 5/12	वार्षिक प्रतिभूति/ कुल वार्षिक राजस्व का 2.5 प्रतिशत (कॉलम सं0 3 का 2.5 प्रतिशत)	वित्तीय वर्ष 2024–25 के अन्तर्गत हैसियत की धनराशि (कुल वार्षिक राजस्व का 15 प्रतिशत)	वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु प्रथम प्रतिभूति की धनराशि (कुल वार्षिक अधिभार का 1/12)	वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु द्वितीय प्रतिभूति धनराशि (कुल वार्षिक अधिभार का 1/12)	वित्तीय वर्ष 2024–25 के अन्तर्गत उपदुकान हेतु अनुज्ञापन शुल्क (कालम सं0 4 का 2 गुना)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	पोखरी	59840643	598000	59242643	4936887	1496016	8976096	4936887	4936887	1196000
2	माईथान	14144459	141000	14003459	1166955	353611	2121669	1166955	1166955	282000
3	कर्णप्रयाग	125144291	1251000	123893291	10324441	3128607	18771644	10324441	10324441	2502000
4	गैरसैण	61887164	619000	61268164	5105680	1547179	9283075	5105680	5105680	1238000
5	नारायणबगड़	52179879	522000	51657879	4304823	1304497	7826982	4304823	4304823	1044000
6	मैहलचौरी	19988647	200000	19788647	1649054	499716	2998297	1649054	1649054	400000
योग		333185082	3331000	329854082	27487840	8329627	49977762	27487840	27487840	6662000

धीरज भट्ट,
सहायक लेखाकार।

योगेश कुमार, 13/3/24
आबकारी सहायक।

अराधना रावत, 12/3/24
आबकारी निरीक्षक क्षेत्र–1 चमोली।

जयवीर सिंह 13/3/2024
आबकारी निरीक्षक क्षेत्र–2 कर्णप्रयाग।

प्रमोद मैठाणी, 13/3/24
जिला आबकारी अधिकारी, चमोली।

Signed by Vivek Prakash
Date: 13-03-2024 19:56:15

विवेक प्रकाश,
अपर जिलाधिकारी, चमोली।

Signed by Himanshu Khurana
Date: 13-03-2024 20:05:34

जिलाधिकारी,
चमोली।

Scanned with OKEN Scanner

Note # 17

अपर जिलाधिकारी / जिलाधिकारी महोदय,

कृपया आबकारी नीति विषयक नियमावली 2024–2025 के कम में अवगत

Generated from eOffice by Pramod Maithani, CHA-DEO-PM, DISTRICT EXCISE OFFICER, DEPT DISTRICT EXCISE OFFICE on 13/03/2024 08:23 PM

Scanned with OKEN Scanner

कराना है कि जनपद चमोली के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–2024 में कुल 15 (पन्द्रह) विदेशी मदिरा दुकान संचालित हैं। वित्तीय वर्ष 2024–2025 हेतु जनपद अंतर्गत संचालित सभी 15 विदेशी मदिरा दुकानों का वित्तीय वर्ष 2023–2024 के व्यवस्थापित राजस्व के कुल योग में 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुये वित्तीय वर्ष 2024–2025 हेतु दिनॉक 23.02.2024 को रू0, 982343708 का वार्षिक राजस्व निर्धारित किया गया और विदेशी मदिरा दुकान देवाल, नारायणबगड, घाट व मैहलचौरी के वित्तीय वर्ष 2023–2024 के संशोधित राजस्व चार्ट के आधार पर उल्लिखित दुकानों का वित्तीय वर्ष 2024–2025 हेतु रू0 180554672.00 का राजस्व आंकलित किया गया, का संकलन करते हुए वित्तीय वर्ष 2024–2025 हेतु जनपद अन्तर्गत अवस्थित विदेशी मदिरा दुकानों का गत वर्ष के व्यवस्थापित राजस्व पर 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए रूपया 977233669. 00 आंगणित किया गया है।

जनपद अन्तर्गत अवस्थित विदेशी मदिरा दुकानों के लिए नवीनीकरण की प्रकिया के अन्तर्गत अब तक 09 विदेशी मदिरा दुकानों से रू0, 586814919.00 का राजस्व व्यवस्थापित हो चुका है और आबकारी नीति विषयक निमावली 2024–2025 हेतु जनपद चमोली को रूपया 92.00 करोड का राजस्व आवंटित किया गया है। **महोदय के संज्ञान में यह तथ्य लाना है कि आबकारी नीति विषयक** नियमावली के बिन्दु सं0–1 के उप बिन्दु 1.1 के भाग (2) में उल्लिखित किया है कि '' नवीनीकरण के पश्चात अवशेष अव्यवस्थापित देशी/विदेशी मदिरा दुकानों हेतु जनपद के राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष, अवशेष राजस्व को सम्बन्धित मदिरा दुकानों में पुर्ननिर्धारण करते हुए नीति में दी गयी प्रकिया के अनुरूप (लॉटरी, प्रथम आवक, प्रथम पावक एवं अधिकतम आफर) मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन राजस्व हित में किया जायेगा, के निर्देश प्राप्त हैं, के आधार पर जनपद अन्तर्गत नवीनीकृत विदेशी मदिरा दुकानों से प्राप्त राजस्व को जनपद हेतु आवंटित राजस्व लक्ष्य में से कम करते हुए रू0 333185082/–अवशेष 06 विदेशी मदिरा दुकानों, जिनका प्रथम, द्वितीय चरण के अन्तर्गत व्यवस्थापन की कार्यवाही की जानी है, के राजस्व का निर्धारण चार्ट तैयार किया गया है, जो महोदय के अनुमोदनार्थ एवं हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है। इसके अतिरिक्त सादर अवगत कराना है कि उक्त राजस्व चार्ट को कल दिनांक 14.03.2024 के दैनिक संसकरण में प्रकाशित होना है,

अतः महोदय सहमति की दशा में प्रस्तुत राजस्व चार्ट को हस्ताक्षरित करना चाहें।

Digitally Signed

13/03/2024 07:25 PM

Pramod Maithani
DISTRICT EXCISE OFFICER

Note # 18

Digitally Signed

13/03/2024 07:56 PM

Vivek Prakash
ADM

Generated from eOffice by Pramod Maithani, CHA-DEO-PM, DISTRICT EXCISE OFFICER, DEPT DISTRICT EXCISE OFFICE on 13/03/2024 08:23 PM

Scanned with OKEN Scanner

Note # 19

approved as proposed, as per rules

Digitally Signed

13/03/2024 08:06 PM

Himanshu Khurana
DISTRICT MAGISTRATE

Scanned with OKEN Scanner